सत्यमेव जयते

DELHI COMMISSION FOR SAFAI KARAMCHARIS ACT - 2006

(As passed by Delhi Legislative Assembly)

सत्यमेव जयते

DELHI COMMISSION FOR SAFAI KARAMCHARIS ACT - 2006

(As passed by Delhi Legislative Assembly)

दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 2006

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा द्वारा दिनांक 8 नवम्बर 2006 को यथा पारित तथा दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2006 द्वारा अनुमोदित होने के बाद दिनांक 6 दिसम्बर 2006 को अधिसूचना सं. फा. 1(1) एल.ए.-2003/7697 द्वारा दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित)

(25 नवम्बर, 2006)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहने वाले सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने और उनकी शिकायतों का निपटारा करने तथा तत्संबंधी या आनुषंगिक मामलों के लिए दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना और कार्य प्रणाली के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य में सतावनवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियम किया जाए:-

अधयाय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ : (1) इस अधिनियम को दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 2006 कहा जाएगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसुचना नियत करे।

2. परिभाषाएं : इस विधेयक में जब जक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अध्यक्ष'' से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत नियुक्त दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष से है।

(ख) ''आयोग'' से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गठित दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग से है।

(ग) ''दिल्ली'' का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।

(घ) ''सरकार'' से अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 239 अअ के अंतर्गत उप-राज्यपाल के रुप में निर्दिष्ट और अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है।

(ख्र)''उपराज्यपाल'' से अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है।

(च) ''सदस्य'' से अभिप्राय है आयोग का सदस्य।

(छ) ''विहित'' से अभिप्राय इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों द्वारा विहित से है।

(ज) ''सफाई कर्मचारी'' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो उपने श्रम से मनुष्य का मल-मूत्र उठाने अथवा अन्य सफाई कार्यो में संलग्न है, या उसके लिए नियुक्त किया गया है।

(झ) ''राष्ट्रीय आयोग'' से अभिप्राय राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 64) के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से है।

अध्याय-II

3. आयोग का संविधान : (1) इसके लागू होने के तत्काल बाद सरकार दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग नाम के निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करेगा।

और सौंपे गए कार्यों को पूरा करेगा।

(2) आयोग का एक अध्यक्ष होगा और दो अंशकालिक सदस्य होंगे जिनका नियुक्ति सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, योग्य, निष्ठावान और दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के बारे में जानकार और उनसे संबद्ध व्यक्तियों में से की जाएगी।

4. अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल और सेवा शर्ते : (1) अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष तक का आयु (जो भी कम हो) तथा सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष अथवा 62 वर्ष तक की आयु (जो भी कम हो) का होगा जो उनके कार्यभार संभालने की तिथि से माना जाएगा।

(2) अध्यक्ष अथवा सदस्य किसी भी समय अध्यक्ष या सदस्य के पद से यथास्थिति सरकार को इपने हाथ से लिखकर इस्तीफा दे सकता है।

(3) सरकार निम्नांकित स्थितियों में अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकती है।

(क) अनुन्मोचित दिवालिया होने पर।

(ख) ऐसे अपराधों के लिए सिद्ध होने और कारागार की सजा होने, जो सरकार की राय में नैतिक अधमता हो।

(ग) दिमागी हालत ठीक न रहने और सक्षम न्यायालय द्वारा तत्संबंधी घोषणा किए जाने।

(घ) काम करने से इंकार करपे अथवा कार्य करने में अक्षम होने।

(ख्र) आयोग से अनुमति प्राप्त किए बिना आयोग की तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थिति रहने पर अथवा

(च) सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का दुरुपयोग करने, सफाई कर्मचारियों के हित या जनहित में पद पर बना रहना हानिकारक होने।

परन्तु इस धारा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि संबंधित मामले में उसे सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

(4) आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति के खाली होने वाले पद सरकार द्वारा उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए यथाशीघ्र भरे जायेंगे।

5. अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते आदि : अध्यक्ष उन्हीं परिस्थिति, वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं पाने के हकदार होंगे जो कि नियमानुसार सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएं। अंशकालिक सदस्य केवल बैठक अवधि की फीस लेने के पात्र होंगे, अन्य सुविधाओं के नहीं।

6. आयोग का सचिव : (1) आयोग के सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा अध्यक्ष से सलाह करके की जाएगी और उसका दर्जा सरकार के किसी सचिव से कम नहीं होगा।

(2) सचिव आयोग के विभाग का मुखिया होगा और वह रोजमरी के प्रशासनिक कार्य की देख भाल करगा तथा आयोग के आदेशानुसार काम करेगा।

(3) सचिव आयोग की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करने और बैठकों के ब्यौरे की जानकारी प्रकाशित करने के प्रति उत्तरदायी होगा।

(4) सचिव आयोग का लेखा-जोखा रखेगा और इस अधिनियम के अंतर्गत उसे सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन करेगा।

(5) सचिव आयोग की रिपोर्टों को अंतिम रुप देने में उसकी मदद करेगा।

(6) सचिव अपने विवेकाधिकार से आयोग के किसी अन्य अधिकारी को अपना कोई कार्य या अधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है।

(7) सचिव विहित वेतन और भत्ते पाने का अधिकारी होगा।

7. आयोग के कर्मचारी : (1) सरकार आयोग को उसकी कारगर कार्यप्रणाली के लिए उपयुक्त कर्मचारी और उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करायेगी।

(2) आयोग के सचिव अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य भुगतान इस

अधिनियम की धारा 20 बी उपधारा (2) में वर्णित अनुदानों में से कियर जाएगा।

8. आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया : आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं तय करेगा।

9. आयोग का मुख्यालय : दिल्ली में होगा परन्तु वह दिल्ली में और अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त स्थान एवं समय पर अपनी बैठकें कर सकेगा।

10. आयोग के आदेशों और निर्णायों का अधिप्रमाणन : आयोग के सभी आदेशों और निर्णयों को सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

11. खाली पदों आदि से आयोग की कार्यवाही का अवैध न होना : आयोग में कोई पद खाली होने या उसके संविधान में कोई त्रुटि होने के आधार पर आयोग के किसी कार्य निर्णय या कार्यवाई को विवादित या अवैध करार नहीं दिया जा सकेगा।

अध्याय-III

आयोग के अधिकार और कर्त्तव्य

12. अयोग के कर्त्तव्य : (1) आयोग निम्नांकित में से सभी या कोई भी कार्य करेगा।

(क) निम्नांकित से संबद्ध सभी मामलों की जांच, परीक्षण और निगरानी करेगा :-

(I) दिल्ली में रहने वाले सफाई कर्मचारियों को भारतीस संविधान या किसी अन्य प्रचलित कानून या किसी न्यायिक निर्णय अथवा भारत सरकार या सरकार द्वारा जारी किसी आदेश/अनुदेश के अंतर्गत प्रदत्त सरक्षण और ऐसे संरक्षण की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन।

(II) सफाई कर्मचारियों के किसी अधिकार का हनन या उल्लंघन

(III) सफाई कर्मचारियों के कल्याण और हितों से संबंधित कोई अन्य मामला।

(ख) सफाई कर्मचारियों को उनके अधिकारों और संरक्षण से वंचित किए जाने संबंधी विशेष शिकायतों की जांच करना।

(ग) सफाई कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित सरकार की नीतियों और कार्यक्रमो के कार्यान्वियन पर निगरानी रखना और उसका मूल्यांकन करना तथा सफाई कर्मचारियों के सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया के बारे में सरकार को मरामर्श देना।

(घ) सफाई कर्मचारियों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के बारे में सिफारिशें करने के लिए अध्ययन एवं अनुसंधान संचालित करना।

(ड.)जन जागरुकता पैदा करने करने के लिए सफाई कर्मचारियों पर असर डालने वाली समस्याओं के बारे में सेमीनार, वाद-विवाद और परिचर्चाओं का आयोजन करना।

(च) सरकारी, अर्ध-सरकारी निकायों, सीानीय निकायों और सरकारी प्रतिष्ठानों की सेवाओं में सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करना और प्रतिनिधित्व पर्याप्त न होना पर सुधार के उपाय सुझाना।

(छ) सफाई कर्मचारियों से संबंद्ध किसी अन्य मामले का निपटारा करना जो सरकार द्वारा उसे सौंपा गया हो।

(2) दिल्ली आयोग को प्रदत्त अधिकार व कर्त्तव्य राष्ट्रीय आयोग के प्रदत्त अधिकारों व कर्त्तवयों अथवा निदेशों का अतिक्रमण नहीं करेंगे।

13. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट : (1) आयोग हर वर्ष अपनी गतिविधियों का सही ब्यौरा देने के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और अपनी सिफारिशा के साथ उसे सरकार के पास भेजगा।

(2)सरकार, अविलम्ब वार्षिक रिपोर्ट और उसमें की गयी सिफारिशों के बारे में कार्यवाई रिपोर्ट तथा ऐसे सिफारिशों को अस्वीकार किए जाने के कारण 'यदि कोई हो' को दिल्ली विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

14. आयोग द्वारा विशेष रिपोर्ट : आयोग सफाई कर्मचारियों के हितों से संबंद्ध जनहित के किसी

मामले में सरकार को विशेष रिपोर्ट दे सकता है।

15. आयोग द्वारा पक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार : आयोग की सिफारिशें नामंजूर किए जाने कि स्थिति में उसे प्रभारी मंत्री के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

16. सरकार द्वारा आयोग से परामर्श लिया जाना : सरकार सफाई कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों में आयोग से सलाह करेगी।

17. सिविल अदालत के अधिकार : आयोग को अपने दायित्वों का निवर्हन करते समय किसी मामले की सुनवाई करने वाली सिविल अदालत के अधिकार विशेषकर निम्नांकित अधिकार प्राप्त होंगे।

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन भोजन, उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और उससे शपथ पत्र मांगना।

(ख) किसी दस्तावेज को खोज और उसे प्रस्तुत करने के लिए कहना।

(ग) शपथ पत्र पर गवाही लेना।

(घ) सरकार के किसी कार्यालय या संस्थान से किसी सार्वजनिक रिकार्ड या उसकी प्रति की मांग करना।

(ड.) गवाहों और दस्तावेज की परीक्ष के लिए कमीशन बनाना।

18. सरकार की जांच एजेंसियों की सेवाओं का इस्तेमाल करने का अधिकार : आयोग इस विधेयक के अंतर्गत किसी जांच के उद्देश्य से सरकार की पूर्व अनुमति लेकर उसकी किसी भी जांच एजेंसी की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेगा।

19. आयोग के समक्ष दिए गए बयान की संरक्षा : आयोग के समक्ष गवाही देते समय किसर व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान का इस्तेमाल शपथ भंग को छोड़कर किसी अन्य अदालत में उसके खिलाफ नहीं किया जा सकेगा।

अध्याय-IV
वित्त लेखा और लेखा-परिक्षा

20. बजट और सरकार द्वारा अनुदान : (1) आयोग हर वर्ष बजट अनुमान तैयार करगा और उसे सरकार के पास भेजेगा, जिसमें वित्त वर्ष के लिए उसकी आय और व्यय का लेखा-जोखा होगा।

(2) सरकार दिल्ली विधानसभा द्वारा समुचित विनियोजन के बाद अयोग को अनुदान के जरिए समुचित धनराशि प्रदान करेगी, ताकि वह इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।

(3) आयोग इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्त्तव्यों का पालन करने या आनुषंगिक कार्यों के लिए प्राप्त अनुदान का इस्तेमाल कर सकता है।

21. लेखा और लेखा-परिक्षा : (1) आयोग उचित लेखा-जोखा रखेगा तथा सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप में वार्षिक आय-व्यय का ब्यौरा तैयार करेगा।

(2) आयोग के खातों की लेखा-परीक्षा अंतरालों पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(3) जो भी व्यक्ति सरकार द्वारा आयोग के खातों की लेखा-परीक्षा के लिए नियुक्त किया जाएगा। उसे वही अधिकार व प्राधिकार प्रदान किए जाएंगे, जो कि भारत सरकार नियंत्रक व माहलेखा परीक्षक को सामान्यत: सरकार के लेखा परीक्षा हेतु प्रदत्त होते हैं तथा उसे विशेष रुप से आयोग की बहियों-खातों संबंधित वाऊचरों, दस्तावेजों तथा कागजात जो भी आवश्यक हो को देखने तथा आयोग के किसी भी कार्यालय की जांच करने का अधिकार होगा।

अध्याय-V
विविध

22. आयोग के उध्यक्ष, सदस्य और अधिकारी लोकसेवक होंगे : इसे अधिनियम के अंतर्गत दायित्वों का निर्वाह करने के लिए प्राधिकृत अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारी भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अनुरुप लोक सेवक समक्षे जायगे।

23. सदभाव पूर्व किए गए कार्य की संरक्षा : इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग द्वारा प्राधिकृत कार्यों का निर्वहण करते समय अध्यक्ष, सदस्य या अधिकारियों द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए कार्य अथवा इस अधिनियम या आयोग के अधिकार का अनुपालन करने की इच्छा से किए गए किसी कार्य के खिलाफ कोई सिविल आपराधिक या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

24. पुस्तकालय और सेल की सीापना : सरकार एक पुस्तकालय, सूचना सेल, अनुसंधान सेल और आयोग की सिफारिश के अनुसार अन्य प्रकार के सेल गठित कर सकती है।

25. नियम बनाने का अधिकार : (1) सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों पर अमल करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करके नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और विशेषकर ऐसे निम्नांकित मामलों में से सभी अथवा किसर एक के बारे में बनाए जा सकते हैं।

(क) आयोग के सचिव को देय वेतन और भत्ते।

(ख) आयोग के सचिव अधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य भुगतानों सहित आयोग के प्रशासनिक खर्च का निर्धारण।

(ग) ऐसे नियमों का निर्धारण जिनके अनुसार आयोग की आय और व्यय का लेखा-जोखा रखा जा सके।

(घ) आयोग द्वारा वार्षिक लेखा-जोखा रखे जाने के तौर तरीके निर्धारित करना।

(ख्र) आयोग के आय-व्यय का वार्षिक विवरण प्रकाशित करने और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ उसकी प्रति सरकार को भेजने का ढंग निर्धारित कराना।

(च) कोई अन्य मामला जो अपेक्षित हो, अथवा विहित किया गया हो।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक नियम बनने के तत्काल बाद दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा, जबकि कुल 30 दिन के लिए सदन की बैठक हो रही हो, यह अवधि एक सत्र में भी हो सकती है और लगातार दो या अधिक सत्रों को मिलाकर भी पूरी की जा सकती है, और अगर तात्कालिक अधिवेशन की समाप्ति से पहले या उपरोक्त परवर्ती अधिवेशनों में सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमति व्यक्त करता है अथवा इस बात पर सहमत होता है कि नियम नही बनाया जाना चाहिए, तो यथास्थिति, नियम में कोई संशोधन करने पर सहमति व्यक्त करता है अथवा नियम का प्रभाव तत्काल समाप्त हो जाएगा, परन्तु ऐसे संशोधन या रद्द किए जाने का प्रतिकूल असर उस नियम के तहत किए गए किसी पिछले कार्य की वैधता पर नहीं पड़ेगा।

26. कठिनाइयां दूर करने का अधिकार : (1) इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाइयां आने पर सरकार शासकीय राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके ऐसे प्रावधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और कठिनाई दूर करने के लिए अनिवर्य समीचील हो, परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् नहीं बनाया जा सकेगा।

(2) इस धारा के अन्तर्गत बनाए गए प्रत्येक कानून को इसके बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, दिल्ली की विधानसभा में पेश किया जायेगा।

DCSK

5477/72, Kalyan Bhawan, Kikarwala Chowk, Raigarpura, Karol Bagh, New Delhi-110005
Ph.: 25750320, Fax : 25750324, Toll Free No.: 1800112021
E-mail : dcsk_2006@yahoo.com, Website : www.dcsk.delhi.gov.in